न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2018/00162

रमेश आयु 66 वर्ष आत्मज श्री कान्हा जाति मीणा निवासी ग्राम चान्दनहेडली तहसील एवं जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बून्दी ।
2. तहसीलदार, बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री राजकुमार माथुर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 26.02.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 92 (ए) एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम चान्दनहेली तहसील एवं जिला बून्दी में खसरा नम्बर 692/546 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि पर वादी पिछले 80–85 वर्षों से अपने पूर्वजों के समय से आज तक काबिज काश्त चला आ रहा है । उक्त भूमि वादी के पिता ने आज से करीब 80 वर्ष पूर्व काबिल काश्त बनायी थी । सरकार द्वारा दिनांक 02.02. 1984 को उक्त भूमि वादी को आवंटित की गई थी किन्तु सहवन से वादी के पिता का नाम आवंटन आदेश में गिरधारी दर्ज हो गया जो दुरूस्त किये जाने योग्य है । कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी वादी उक्त भूमि का खातेदार कृषक बन चुका है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

4. प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2016 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2016 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना दिये बिना लोक अदालत में रखते हुए निर्णय पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी को साक्ष्य हेतु दिनांक 09.06.2016 तारीख पेशी प्रदान की गई थी किन्तु अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही उक्त पत्रावली लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि उक्त निर्णय एवं डिक्री की जानकारी अपीलान्ट को न्यायालय में आकर जानकारी प्राप्त करने पर हुई जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 06.04.2017 को वकील साहब से सम्पर्क कर नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन किया और दिनांक 21.07.2017 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादी ने एक दावा अधिकार घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जिसमें प्रतिवादी की तलबी की गई और तनकीयात कायम के बाद पत्रावली साक्ष्य वादी में लम्बित थी और वादी को बिना सूचना दिये दिये दिनांक 27.05.2016 को लोक अदालत में रखा गया ओर वादी खारिज किया गया । सीपीसी की पालना नहीं की गई । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि सरकारी सिवायचक आराजी पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर दावा पेश किया गया है जो मेन्टेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2016 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो

कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा एक दावा हक घोषणा का इस आशय का पेश किया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 692/546 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी सिवायचक दर्ज है जिस पर वादी का 80–85 वर्षों से अपने पूर्वजों के समय से कब्जा है । अतः उन्हें खातेदारी अधिकार प्रदान किये जावें ।

13. वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने दावे के समर्थन में खसरा परिवर्तनशील की संवत् 2067 की नकल एवं चालान की कुछ प्रतियॉ पेश की गई हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने दावे को लोक अदालत में रखते हुए अपीलाधीन निर्णय से खारिज किया है । अपीलान्ट का यह कथन है कि लोक अदालत में सीपीसी की पालना किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है । वादी के द्वारा सरकारी सिवायचक आराजी पर कब्जे के आधार पर हक घोषणा का दावा पेश किया है । सरकारी सिवायचक आराजी पर कब्जे के आधार पर हक घोषणा का दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मेन्टेनेबल नहीं है । इस क्रम में माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच एवं माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया जा चुका है कि कृषि भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । वादी के द्वारा सिवायचक आराजी पर कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा के लिए दावा पेश किया गया है जो विधिक प्रावधानों के अनुसार मेन्टेनेबल नहीं है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है । तद्नुसार अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज होने योग्य है।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2016 बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/2/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2018/00162

रमेश आयु 66 वर्ष आत्मज श्री कान्हा जाति मीणा निवासी ग्राम चान्दनहेडली तहसील एवं जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बून्दी ।
2. तहसीलदार, बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2016 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 269/दावा/2011

रमेश आयु 60 वर्ष आत्मज श्री कान्हा जाति मीणा निवासी ग्राम चान्दनहेडली तहसील एवं जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बून्दी ।
2. तहसीलदार, बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2016 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 26.02.2021 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री राजकुमार माथुर एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2016 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 26.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

26/2/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा